.... मथुरी .... **बनाम** .... घांसीलाल ....

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या .....35 / 10..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
04-05-2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील उपस्थित। उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सुनी गई। प्रार्थिया के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थिया (मथुरी) के पिता मोती पुत्र केशो लश्करी के कब्जे व खाते की आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा एवं 1072 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा का नामान्तरकरण उसके पुत्रों के ही नाम खोला गया जबकि प्रार्थिया का उनकी पुत्री होने के नाते समान अधिकार है जिससे उसका भी नाम नामान्तरकरण में अंकित किया जाना चाहिये था तथा इसी आधार पर प्रार्थिया को प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रदान की गई थी। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा उस समय के कानून के मुताबिक प्रार्थिया का पुत्री होने के नाते कोई हक व अधिकार नहीं था जिससे उसका नाम अंकित नहीं किया गया है जो सही है। जिससे प्रार्थिया को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना किसी भी स्तर पर न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र मूलतः इसी तथ्य पर आधारित है कि प्रार्थिनी के पिता की मृत्यु के बाद विवादित आराजी के नामान्तरकरण दिनांक 02.06.1971 में उसके भाईयों व माता का ही नाम दर्ज किया गया है जबकि हिन्दू अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति में सुलभी सन्तानों का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया है। इसी क्रम में विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2065–2068 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कि नामान्तरकरण संख्या 1388 दिनांक 09.11.2010 में मृतक केसरबाई का नामान्तरकरण में जो हिस्सा लिखा गया है, उसमें प्रार्थिनी (मथुरी) का नाम भी दर्ज है। मूल वाद के प्रकरण और प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में प्रार्थिया द्वारा उसका नाम दर्ज किये जाने बाबत ही प्रार्थना की गई है जबकि नामान्तरकरण संख्या 1388 से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकरण की विवादित आराजी में प्रार्थिया का नाम व हिस्सा दर्ज हो चुका है। उकत प्रार्थना पत्र पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.01.2018 के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आदेशिका अनुसार प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.01.2013 तक स्थगन आदेश बढाया गया था। इसके बाद न तो प्रार्थिया की ओर से स्थगन आदेश बढाये जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया और न ही, इसके उपरान्त, प्रकरण की आदेशिका में कोई स्थगन आदेश बढाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में इस आधार पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी कि उसका नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया जबकि विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2065–2068 में प्रार्थिया का नाम व हिस्सा अंकित है। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को नियमित रूप से आगे बढाये जाने अथवा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से प्रार्थिया द्वारा चाहा गया उसे अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। 4/5/18	